

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2014—फाल्गुन 23, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. 10क-वि. निर्वा.-4क-2014-162.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 76-MP-LA-24-2008-154-C-B, दिनांक 04 मार्च 2014 एवं सं 076-म.प्र.-वि.स.-24-2008, दिनांक 28 फरवरी 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2014

सन्दर्भ:—वर्ष 2008 में आयोजित मध्यप्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 24—पोहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवि कुमार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10 क के अधीन आरोपित निरर्हता हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपील.

आदेश

सं. 076/म.प्र.-वि.स./24/2008.—यतः, वर्ष 2008 में आयोजित मध्यप्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में 24—पोहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवि कुमार को आयोग के दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के आदेश संख्या सं. 76-म. प्र.-वि. स.-24-2008 (III) के द्वारा निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10 क के अधीन निरर्हता घोषित किया गया था.

यतः; आयोग के दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के निरर्हता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् श्री रवि कुमार ने क्रमशः दिनांक 21 नवम्बर, 2012 तथा 06 दिसम्बर, 2013 के अपने अभ्यावेदनों के द्वारा अपने ऊपर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन उनमें यह कहते हुए अपील दाखिल की है कि उसने दिनांक 03 नवम्बर से 26 नवम्बर, 2008 तक की अवधि के निर्वाचन व्ययों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था. इस सन्दर्भ में अपना लेखा प्रस्तुत करने की पावती भी प्राप्त कर ली गई थी.

उसके बाद, चूंकि स्वास्थ्य के आधार पर निर्वाचन नहीं लड़ने का निर्णय लिया गया था, अतः उसने कोई भी व्यय उपगत नहीं किया था। अपना पहला निर्वाचन होने के कारण उसे, उच्चाधिकारी के समक्ष लेखे दाखिल करने सम्बन्धी नियम की जानकारी नहीं थी।

यतः, श्री रवि कुमार को दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को वैक्तिक सुनवाई का अवसर दिया गया था। पुनः उसने आयोग के दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के आदेश संख्या 76-म. प्र.-वि.स.-24-2008 (III) द्वारा उन पर आरोपित निरर्हता को हटाने के लिए अपने दिनांक 06-12-2013 के पत्र द्वारा प्रार्थना की है।

यतः, रिकार्डों का अवलोकन करने तथा श्री रवि कुमार को सुनने के पश्चात् यह पाया गया है कि आरोपित निरर्हता सही है।

यतः, सुनवाई की अवधि के दौरान अपीलीय अधिकारी का यह विचार है कि समय से तथा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में उनके असफल रहने की व्याख्या करने सम्बन्धी पर्याप्त कारण हैं तथा अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए एवम् इस मामले में नरम दृष्टिकोण अपनाते हुए, अपीलीय प्राधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अधीन दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के आदेश संख्या 76-म. प्र.-वि. स.-24-2008 (III) द्वारा उन पर आरोपित निरर्हता की अवधि को कम करने का निर्णय लेते हैं।

एतद्द्वारा, यह निर्णय लिया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के आदेश द्वारा धारा 10 क के अधीन श्री रवि कुमार पर आरोपित निरर्हता, इस आदेश की तिथि से हट जाएगी। परिणाम स्वरूप, आयोग के दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के आदेश संख्या 76-म. प्र.-वि. स.-2008 (III) में क्रम संख्या 11 पर अंकित श्री रवि कुमार के नाम को इस आदेश की तारीख से, उक्त आदेश से हटा दिया गया समझा जाएगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुधीर त्रिपाठी)
उप निर्वाचन आयुक्त.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 28th February 2014

Inre:—Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act on Shri Ravi Kumar, a contesting candidate from 24-Pohari Assembly Constituency at the General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly held in 2008.

ORDER

No. 76/MP/LA-24-2008.—WHEREAS, Shri Ravi Kumar, a contesting candidate from 24-Pohari Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh during General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly held in 2008, had been disqualified under section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for not filling any account of election expenses *vide* Commission's Order No. 76-MP-LA-2008 (III), dated 28th September, 2012.

WHEREAS, after receipt of the commission's disqualification order dated the 28th September, 2012, shri Ravi Kumar filed appeal under section 11 of the aforesaid Act for removal of disqualification imposed on him *vide* his representations dated 21st November, 2012 and 06th December, 2013 respectively, stating therein that he had submitted his accounts of election expenses before the Returning Officer for the said period 3rd November to 26th, November 2008. an acknowledgement of having submitted his account had also been obtained in this regard. Thereafter, he had incurred no expenditure since it was decided not to contest the election on health grounds. Being his first election, he was not well versed with the rule position of filing of accounts with the higher officer.

WHEREAS, Shri Ravi Kumar was given personal hearing on 06th December, 2013. He has again prayed for the removal of the disqualification imposed on him *vide* Commission's Order No. 76-MP-LA-2008 (III), dated 28th September, 2012, *vide* his letter dated 06-12-2013.

WHEREAS, on pursuing the records and hearing Shri Ravi Kumar, it is observed that the disqualification imposed is correct.

WHEREAS, during the course of the hearing, the Appellate Authority is of the view that there are sufficient reasons that explained his failure to lodge the account of election expenses in the time and manner required by law and hence, taking a lenient view in the matter, in view of the submissions made by the appellant, the Appellate Authority hereon decides to reduce the period of disqualification on imposed on him, under section 10A of the R. P. Act, 1951 *vide* Commission's Order No. 76-MP-LA-2008 (III), dated 28th September, 2012.

It is hereby decided, that the disqualification imposed on Shri Ravi Kumar, under section 10A, *vide* Election Commission of India order dated 28th September, 2012 Shall stand removed from the date of this Order. Consequently, the name of Shri Ravi Kumar appearing at Serial No. 11 in the Commission's Order No. 76-MP-LA-2008 (III), dated 28th September, 2012, Shall be deemed to have been deleted from the said order, with effect from the date of this order.

By order,
Sd./-
(SUDHIR TRIPATHI)
Deputy Election Commissioner.